



सत्यमेव जयते
जनजातीय कार्य मंत्रालय
भारत सरकार



ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग
डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ
इंडिया लिमिटेड (ट्राइफेड)
जनजातीय कार्य मंत्रालय
भारत सरकार
द्वारा जनहित में जारी

वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान



unicef
for every child

यूनिसेफ भारत
के सहयोग से

कोविड-19 से लड़ें, काम से समझौता ना करें।

गैर-इमारती लकड़ी वाले वन उपज केंद्र आदिवासियों को समर्थन दें,
कोविड-19 के दौरान लघु वन उपज योजना लागू करें
साफ-सफाई का हो साथ, कोविड-19 से हो बचाव

गैर-इमारती लकड़ी वाले वन उपज केंद्र सुनिश्चित करें कि:


- 1** वन धन विकास केंद्रों सहित सभी एनटीएफपी प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों के प्रवेश द्वार पर हैंड सैनिटाइज़र रखें




- 2** यदि किसी भी व्यक्ति को बुखार, खांसी या सांस लेने में कठिनाई है तो, उसे केंद्र में न आने दें



- 3** एनटीएफपी की पैकिंग सामग्री साफ सुथरी होनी चाहिए और फटी हुई तो बिलकुल नहीं होनी चाहिए, ताकि उनकी उठापटक करने वाले गैर-इमारती लकड़ी वाले वनोपजों के संपर्क में न आ सकें



- 4** लोगों से प्यार से बात कर उनकी चिंताओं को सुनें और भेदभाव न करें



- 5** प्रसंस्करण करने वाले सदस्य प्रसंस्करण केंद्रों में एक दूसरे से कम से कम 2 मीटर दूर बैठें



- 6** यदि केंद्र में दूर बैठने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं है तो कर्मचारियों को अलग-अलग शिफ्टों में काम पर आने या स्वच्छता के साथ घर से काम करने की सलाह दें



- 7** नकद लेन-देन कम करके सभी संग्रहकर्ताओं के बैंक खाते में राशि जमा करवाएं

गैर-इमारती लकड़ी वाले वन उपज जनजातीय संग्रहकर्ता एवं प्रसंस्करण करने वाले सदस्य सुनिश्चित करें कि वह:



- 1** खांसते या छींकते समय नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें




- 2** रुमाल या टिश्यू न होने पर अपने ऊपरी हाथ या कंधे में मुंह को छुपा कर खांसे या छीकें




- 3** अपने मुंह, नाक और आंखों को छूने से बचें



- 4** केंद्र में प्रवेश करने से पहले, काम शुरू करने से पहले और काम के बाद अपने हाथों को साबुन और पानी या सैनिटाइजर से साफ करें



- 5** एक दूसरे से कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखें



- 6** सामाजिक दूरी बनाए रखें, विशेषकर ऐसे व्यक्तियों से जिन्हें बुखार, खांसी या सांस लेने में कठिनाई है



- 7** कोविड-19 के ज़रा से भी लक्षण दिखने पर खुद की जांच करवाएं और खुद को दूसरों से अलग रखें



- 8** खुले में न थूकें



- 9** एक दूसरे से बात करके अपनी चिंताओं के बारे में बताएं और भेदभाव न करें



- 10** नकद लेन-देन की बजाए सरकारी माध्यम जैसे रुपये का प्रयोग करें

यदि किसी को बुखार, खांसी या सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की

हेल्पलाइन नंबर: 011-23978046 | टोल फ्री नंबर: 1075 पर संपर्क करें

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त डिजिटल सामग्री के अनुसार